

## न्यायालय तहसीलदार, तहसील रामगढ

सरकार जरिये पटवारी हल्का नंगला ललावण्डी

बनाम

असरफ पुत्र इस्माईल जाति मेव निवासी खिलौरा तहसील रामगढ

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं0 10/2024

निर्णय दिनांक 27.01.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खिलौरा के गै०मु०जोहड भूमि के आ०ख०न० 326 रकबा 1.36. है० में से 0.04 हैक्ट. पर बसावट, बाडा, मकान पक्का व कच्चा निर्माण कर असरफ पुत्र इस्माईल जाति मेव निवासी खिलौरा तहसील रामगढ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का खिलौरा द्वारा दिनांक 26.09.2024 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू०अभि० निरीक्षक वृत्त रामगढ के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल असरफ पुत्र इस्माईल जाति मेव निवासी खिलौरा तहसील रामगढ को राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद गैर सायलान नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुए एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। गैर सायल के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह संतोषप्रद नहीं है। गैरसायलान द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। गैर सायलान को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना विधि अनुसार संभव नहीं है। अतः गैरसायलान को अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। नाजायज कब्जा 0.04 हैक्ट, पर बसावट, बाडा, मकान पक्का व कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण कर लेने पर दण्ड स्वरूप लगान 0.12 रू० का 50 गुना रू० 6/- पैनल्टी आरोपित की जाती है। साथ ही पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तहसील को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू० अभि० निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
तहसील रामगढ

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar  
Designation: Tehsildar  
Date: 2025.01.27 12:44:41 IST  
Reason: Approved

